क्रम-संख्या—86

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 मई, 2025

ज्येष्ठ 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 70 / 79-वि-1—2025-2-क-4-2025

लखनऊ, 28 मई, 2025

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2025) जिससे विधायी अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2025)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

वर्तमान समय में अनावश्यक तथा अप्रचलित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए तथा एक अधिनियमिति को पुनर्जीवित करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्तिथियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025 कहा जायेगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होगा ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2– (1) इस अध्यादेश के अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं ।

(2) उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022) की अनुसूची में, क्रम–संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट प्रविष्टि को, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) को, निरसन के दिनाँक से पूर्णतः पुनर्जीवित किये जाने के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति

3– इस अधिनियम द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में दिये गये किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों ।

अनुसूची

(धारा 2 की उपधारा (1) देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

क्रमांक	अधिनियम का नाम	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या
1	आगरा विश्वविद्यालय (अनुपूरक) अधिनियम, 1952	3 सन् 1953
2	आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1954	25 सन् 1954
3	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1957	5 सन् 1958
4	लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1957	6 सन् 1958
5	गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	23 सन् 1958
6	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	24 सन् 1958
7	आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	26 सन् 1958
8	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1959	11 सन् 1959
9	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961	13 सन् 1961
10	गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1962	24 सन् 1962

क्रमांक	अधिनियम का नाम	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या
11	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप–कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1966	6 सन् 1966
12	कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966	31 सन् 1966
13	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971	19 सन् 1971
14	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972	21 सन् 1972
15	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982	9 सन् 1982
16	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985	22 सन् 1985
17	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1992	2 सन् 1992
18	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997	10 सन् 1997
19	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004	24 सन् 2004
20	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004	30 सन् 2004
21	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006	4 सन् 2006
22	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006	22 सन् 2006
23	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006	42 सन् 2006
24	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007	42 सन् 2007
25	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007	14 सन् 2008
26	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008	18 सन् 2008
27	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007	10 सन् 2014
28	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014	12 सन् 2014
29	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014	22 सन् 2014
30	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015	12 सन् 2015
31	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016	6 सन् 2016
32	उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016	22 सन् 2016
33	एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016	25 सन् 2016
34	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016	28 सन् 2016
35	उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017	3 सन् 2017

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

47 RPH (Vidhaika Addhyadesh) 2025 data 8e

No. 70(2)/LXXIX-V-1–2025-2-ka-4-2025

Dated Lucknow, May 28, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhyadesh, 2025 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2025) promulgated by the Governor. Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REPEALING ORDINANCE, 2025

(U.P. ORDINANCE NO. 4 OF 2025)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to repeal certain enactments that have become redundant and obsolete in the present times and to revive an enactment.

WHERAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Repealing Ordinance, 2025.

(2) Save as otherwise provided, it shall come into force with effect from the date of its publication in the Official *Gazette*.

Repeal of certain enactments

2. (1) The enactments specified in the Schedule of this Ordinance are hereby repealed.

(2) In the Schedule to the Uttar Pradesh Repealing Act, 2022 (U.P. Act No. 18 of 2022), the entry specified at serial number 7 thereto is hereby repealed for the purpose of wholly reviving the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966) from the date of its repeal.

Savings

3. The repeal by this Act of any enactment specified in the Schedule below shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted; or the proof of any past Act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

47 RPH (Vidhaika Addhyadesh) 2025 data 8e

SCHEDULE

(See sub-section (1) of section 2)

Acts being repealed

Sl. No.	Name of the Act	U.P. Act No.
1.	The Agra University (Supplementary) Act, 1952	3 of 1953
2.	The Agra University (Amendment) Act, 1954	25 of 1954
3.	The Allahabad University (Amendment) Act, 1957	5 of 1958
4.	The Lucknow University (Amendment) Act, 1957	6 of 1958
5.	The Gorakhpur University (Amendment) Act, 1958	23 of 1958
6.	The Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1958	24 of 1958
7.	The Agra University (Amendment) Act, 1958	26 of 1958
8.	The Uttar Pradesh Universities Act, 1959	11 of 1959
9.	The Uttar Pradesh Universities Act, 1961	13 of 1961
10.	The Gorakhpur Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1962	24 of 1962
11.	The Uttar Pradesh Universities (Appointment of Vice-Chancellors) (Amendment and Validation) Act, 1966	6 of 1966
12.	The Kanpur and Meerut Universities (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966	31 of 1966
13.	The Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1971	19 of 1971
14.	The Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1972	21 of 1972
15.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1982	9 of 1982
16.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1985	22 of 1985
17.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1992	2 of 1992
18.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1997	10 of 1997
19.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2004	24 of 2004
20.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2004	30 of 2004
21.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2006	4 of 2006
22.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2006	22 of 2006
23.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006	42 of 2006
24.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2007	42 of 2007
25.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2007	14 of 2008
26.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2008	18 of 2008

Sl. No.	Name of the Act	U.P. Act No.
27.	The Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2007	10 of 2014
28.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2014	12 of 2014
29.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2014	22 of 2014
30.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2015	12 of 2015
31.	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2016	6 of 2016
32.	The Uttar Pradesh Ministers' (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act, 2016	22 of 2016
33.	The Amity University Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2016	25 of 2016
34.	The Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2016	28 of 2016
35.	The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board (Amendment) Act, 2017	3 of 2017

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 47 राजपत्र–2025–(145)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 विधायी–2025–(146)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

47 RPH (Vidhaika Addhyadesh) 2025 data 8e